1. योजना

इस योजना का नाम "दिल्ली विकास प्राधिकरण की ''नरेला आवासीय योजना-2004" है। इस योजना के अन्तर्गत न्यू पैटर्न आवास योजना-1979, अम्बेडकर आवास योजना-1989, जनता आवास योजना-1996 और रोहिणी आवासीय प्लाट योजना-1981 के प्रतीक्षारत पंजीकृतों, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली में स्वायत्तशासी निकाय के कर्मचारियों और आम जनता से उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग निम्न आय वर्ग, जनता और विस्तारणीय आवास योजना के फ्लैट्स के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। नरेला में सारे फ्लैट्स पहले से ही निर्मित किए जा चुके है और अधिग्रहण के लिए तैयार हैं।

यह योजना दिनांक 23-02-2004 से 31-03-2004 तक खुली रहेगी।

<u>इस योजना के अन्तर्गत **30%** आर्थिक सहायता उपलब्ध है।</u>

आवेदन पत्र में आवेदकों को विकल्प दिया गया है कि वे उनमें से सभी श्रेणियों या उनमें से कोई एक के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदक द्वारा पाकेट/तल अथवा फ्लोर के लिए प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और पाकेट/तल अथवा फ्लोर को बदलने के लिए किसी आवेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

2. प्रस्तावित फ्लैट

इस योजना के अतंर्गत समूह आवास पद्धति पर निर्मित लगभग 3500 फ्लैट प्रस्तावित हैं। यदि अन्य सैक्टरों में ड्रा निकलने से पहले फ्लैट खाली पाये गए तो उन्हे भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। आवेदकों की सुविधा के लिए फ्लैटों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है जैसे :

क्र. सं.	श्रेणी	फ्लैटों की संख्या
1	उच्च आय वर्ग	50
2	मध्यम आय वर्ग	350
3	निम्न आय वर्ग	1035
4	जनता	2000
5	विस्तारीय आवास योजना ए-श्रेणी	200

आवेदको से अपेक्षा की जाती है कि अपनी/ अपने इच्छानुसार प्राथमिकता **1** से **5** (एक से पांच) में दें यदि वे किसी श्रेणी में फ्लैट नहीं चाहते है तो उस पर क्रास **(X)** लिख दें। यदि कोई खाना खाली रहता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक उस श्रेणी को नही चुनता है।

3. पात्रता

I. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

II. उसे व्यस्क होना चाहिए। इसके लिए आवेदक फ्लैट के लिए आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

III आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टाधारिता आधार पर अथवा फ्री-होल्ड आधार पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने स्वयं के नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अव्यस्क अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर कोई आवासीय मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवासीय मकान/ फ्लैट के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व वाले प्लॉट या भूमि में आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्ग गज) से कम है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता/सकती है।

IV ऐसा व्यक्ति, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी विभाग द्वारा निर्मित मकान/प्लॉट आवंटित किया जा चुका हो, चाहे वह 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्ग गज) से कम हो, वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

V कोई आय-सीमा नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन-क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है।

VI आवेदक का किसी अनुसूचित बैंक में आवेदन की तिथि पर खाता होना चाहिए और आवेदन पत्र में विवरण भरा जाना चाहिए।

1. SCHEME

The scheme is called **"Narela Housing Scheme, 2004 of the Delhi Development Authority".** Under this scheme applications are invited from the the waitlisted registrants of New Pattern Housing Scheme 1979, Ambedkar Awas Yojna 1989, Janta Housing Scheme 1996 and Rohini Residential Plotted scheme 1981, employees of Central Government, Delhi Government, Autonomous Bodies in Delhi/New Delhi and the general public for allotment of HIG,MIG, LIG, JANTA and EHS flats. All the flats are already constructed and are ready for occupation.

The scheme shall remain open from 23.02.2004 to 31.3.2004.

<u>30% Subsidy is available under the scheme.</u>

Applicants are given the option in the application form to apply either for all the categories or any of them. No preference for sector/ pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket, floor shall be entertained by the DDA.

2. FLATS ON OFFER

About **3500 ready built flats** constructed on the Group Housing pattern are on offer under this scheme.
If the flats get vacant in other sectors before the draw is held then the same shall also be included in the scheme.
For the convenience of the applicant all the flats have been put in different categories namely :

Sr. No.	Category	No. of Flats
1	HIG	50
2	MIG	350
3	LIG	1035
4	Janta	2000
5	EHS cat A-	200

The applicant is requested to rank his/her preference from 1 to 5 (one to five) according to his/her choice and put a cross (x) against the category in case he/she doesn't want to opt for a flat of that category. If any box is left blank then it would be considered that the applicant has **not opted** for a flat of that category.

3. ELIGIBILITY

I. The applicant must be a citizen of India.

II. He/She should have attained the age of majority. For this an applicant should have completed 18 years of age as on the date of filling of the application for a flat.

III. The applicant must not own any residential flat or plot in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi / New Delhi/ Delhi Cantonment either in his / her own name or in the name of his/her wife / husband or in the name of his / her minor or dependent children. If, however, individual share of the applicant in the jointly owned plot or land under the residential house/flat is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.), he/she can apply under this scheme.

IV. A person who has already been allotted a house/flat constructed by the DDA or any other land owning department even if it is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) shall not be eligible to apply for another flat under this scheme

V. There is no income limit for any category of flat. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability.

VI. The applicant must have an account in any scheduled bank on the date of application and the particulars must be filled in the application form.

4. आरक्षण

इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है :-

i) 17.5% फ्लैट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे।

ii) 7.5% फ्लैट अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी।

iii) 1% फ्लैट युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित होंगे।

iv) 1% फ्लैट शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे और

v) 1% फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे।

यदि उक्त उल्लिखित पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो बचे हुए सभी फ्लैटों का प्रस्ताव गैर-आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें

I निर्धारित आवेदन-पत्र युक्त विवरण-पुस्तिका बिक्री के लिए दिनांक **23.02 2004 से 31.03.2004** (दोनों दिन शामिल हैं) तक कार्य-दिनों में कार्य-घंटों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के बिक्री काउन्टर, 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली, विकास सदन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, विकास सदन की सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, और **अनुबंध-अ** में उल्लिखित नामांकित बैंकों-एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड और यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड की निर्धारित शाखाओं में उपलब्ध होंगे। विवरण पुस्तिका का मूल्य रू. 100/- होगा।

II विवरण पुस्तिका और आवेदन फार्म डाक से मंगवाने के लिए कृपया (क) मैनेजर, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, 5वी मंजिल, एच.टी. हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23731212 (ख) मैनेजर, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, सूर्य किरण बिल्डिंग, ग्राउन्ड फ्लोर, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23350568 (ग) मैनेजर, यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड, ई-64, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048, फोन नं. 011-26431800 (घ) मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विकास सदन, नई दिल्ली-110023, मैनेजर, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास सदन, नई दिल्ली-110023, में मनोनीत बैंको की **नामांकित शाखा** को लिखें तथा साथ में उपर्युक्त उल्लिखित शाखाओं के मैनेजर के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय 150/- रु. का डिमान्ड ड्राफ्ट भी भेजें। डाक द्वारा फार्म प्राप्त करने के लिए डिमान्ड-ड्राफ्ट सहित आवेदन-पत्र दिनांक **15.03.2004** तक हर हालत में पहुंच जाना चाहिए।

III डीडीए ने विवरण पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र फार्म को अपनी वेबसाइट **www.ddadelhi.com** में प्रदर्शित किया है। यह फार्म वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं और इन्हें भरकर उपरोक्त 'आवेदन कैसे करें' के पैरा **II** में वर्णित बैंक शाखाओं में भेजा जा सकता है (यदि डाक द्वारा भेजे जायें) या अनुसूची ए में वर्णित पते पर सीधे जमा किए जा सकते हैं। जो आवेदक डाउनलोड किये फार्मों को जमा करेंगें उन्हें डीडीए के पक्ष में देय रू. 100/- के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी और यह पंजीकरण राशि के अतिरिक्त होगी।

IV आवेदन-पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है। किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन-पत्र प्राप्त करके उसे भरें।

4. RESERVATIONS

The details of reservations under this scheme are as given below:-

I. 17.5 % of the flats for persons belonging to Scheduled Castes.

II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes. If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa.

III. 1% for war widows.

IV. 1% for physically handicapped persons; and

V. 1% for ex-servicemen.

If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to the persons of non-reserved categories.

5. HOW TO APPLY

I. The prescribed application forms contained in the brochure shall be available for sale from **23.2.2004 to 31.3.2004** (both days inclusive) during the working hours on working days from the sale counter of DDA D-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi, Vikas Sadan branch of The State Bank of India, Vikas Sadan branch of Central Bank of India and in the prescribed branches of the nominated banks - HDFC BANK Ltd., IDBI BANK Ltd. and UTI BANK Ltd. as mentioned in Annexure-A. The cost of brochure shall be Rs.100/-.

II. To obtain the application form and the brochure by post, please write to **nodal branch** of the nominated bank at (a)Manager, HDFC Bank Ltd.,5th Floor, H.T. House, K.G. Marg, New Delhi-110001 Phone No. 011-23731212, (b) Manager, IDBI Bank Ltd., Surya Kiran Bldg., Ground Floor, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110001, Phone No. 011-23350568, (c) Manager, UTI Bank Ltd., E-64, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, Phone No. 011-26431800,(d) Manager, The State Bank of India, Vikas Sadan, New Delhi-110023,(e) Manager, Central Bank of India,Vikas Sadan, New Delhi-110023,by sending a Demand Draft of Rs. 150/- in favour of Manager of Branches mentioned above payable at Delhi/New Delhi. For getting the forms by post the application along with Demand Draft should reach positively by **15.3.2004.**

iii DDA has displayed the application form along with the brochure conditions on the website, wwwddadelhi.com. You may download the same, fill it up and send to any of the back branches as mentioned in para II of the above head 'How to apply' (If it is to be sent by post) or in the branches as mentioned in annexure A if it is to deposited directly. The applicants who are submitting the downloaded form will have to deposit additional demand draft of Rs. 100/- This will be in addition to the registration amount.

IV. The application form should be signed only by the person, who wants to get a flat under this Scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application.

V) निर्धारित फार्म में हर प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र, नामांकित बैंकों की निर्धारित शाखाओं और विकास सदन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा और विकास सदन की सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जैसे कि संलग्नक-ए में उल्लिखित हैं में सभी कार्य-दिवसों में, दिनांक 23.02.2004 से 31.03.2004 तक जमा किए जाने चाहिए। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बधित शाखा पावती जारी करेगी (नोट: बैंक का नाम तथा पता, पावती के पिछे लिखा होगा)।

VI) विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र उपर्युक्त पैरा-2 (''कैसे आवेदन करें''शीर्षक के अंतर्गत) में यथा-उल्लिखित शाखा प्रबंधकों के पते पर पंजीकृत डाक से भी दिनांक 31.03.2004 तक पहले भेजे जा सकते हैं। लिफाफे के ऊपर स्पष्टतया ''दि.वि.प्रा. की नरेला आवास योजना- 2004 के अन्तर्गत आवेदन'' लिखा होना चाहिए।

VII) किसी भी सशर्त फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही रद्द कर दिए जाएंगे।

VIII) दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें योजना की पूरी पंजीकृत राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें अलग से, पूर्व की योजना की पंजीकरण जमा-राशि को वापिस करने हेतु लिखित अनुरोध करना पड़ेगा। आवेदन प्राप्त होने के अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद, सफल आवेदकों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए, अप्रैल/मई 2004 में कंप्यूटर-आधारित एक ड्रा निकाला जाएगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि, प्रक्रियानुसार, जहाँ पर आरंभिक राशि जमा की गई है, उस नामांकित बैंक द्वारा उन्हें वापिस कर दी जाएगी।

6. आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज

(क) सामान्य :

(i) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी हाल के दो पासपोर्ट आकार के फोटो जो नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए गए हों, आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाएगा।

(ii) उच्च आय वर्ग/निम्न आय वर्ग फ्लैट के लिए आवेदन की स्थिति में पैन/जी.आई.आर. नं. की फोटोकॉपी/फॉर्म 60 में घोषणा, और यदि पैन अभी आवंटित नहीं हुआ है तो फार्म प्राप्त होने की पावती, फार्म के साथ संलग्न की जाए।

(ख) आरक्षित श्रेणी के लिए :

उपर्युक्त के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(i) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिक के मामले में रक्षा मंत्रालय/ रक्षा विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय/ रक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये ''अपेक्षित प्रमाण-पत्र'' की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता ,तो उसके मामले पर आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसके मामले को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

V. The application completed in all respects on the prescribed form should be submitted to the prescribed branches of the nominated banks and Vikas Sadan branch of The State Bank of India and Vikas Sadan branch of Central Bank of India, as mentioned in annexure A, on all working days from 23.2.2004 to 31.3.2004. On receipt of the application, the concerned branch shall issue acknowledgement (Note: The name and address of Bank are written on the back side of acknowledgement form).

VI. Duly filled up application can also be sent by registered post addressed to the Branch Managers as mentioned in para II above (under the head – How to Apply) to reach not later than 31.3.2004. The envelope should be clearly marked “Application under Narela Housing Scheme 2004 of DDA”.

VII. No conditional application form will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.

VIII. Persons holding a registration with DDA under any of its other schemes, can also apply under this scheme. They, however, have to make payment of Registration Amount of the scheme in full.They should separately make a written request for withdrawal of Registration Deposit of the earlier scheme once they are successful in this scheme. After the last date for receipt of applications is over, a computer based draw is likely to be conducted in the month of April/ May 2004 to finalize the list of successful applicants. The amount deposited by the unsuccessful applicants shall be refunded to them by the nodal branch of the designated bank where the initial deposit was made, as per procedure.

6. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FORM

(A)GENERAL :

i. Two recent passport size photographs of the applicant, duly attested by Notary Public/Gazetted Officer are required to be affixed on the application form at the indicated space.

ii. Photocopy of PAN/GIR No./Declaration in Form 60 and acknowledgement of receipt of form in case number is not yet allotted, may be attached with the form in case application is made for HIG/MIG flat.

(B)FOR RESERVED CATEGORY :

In addition to the above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-

(i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the Reserved Category of SC/ST.

(ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of physically handicapped persons.

(iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Dept. of Defence in case of Ex-serviceman.

(iv) An attested copy of “Requisite Certificate” issued by the Ministry of Defence/Dept. of Defence. (in case applicant comes under Reserved Category of war-widow). An applicant not submitting the requisite documents will not be considered for allotment under the Reserved Category and will be treated under the General Category.

7. आवंटन का तरीका

पहली वरीयता न्यू पैटर्न आवास योजना-1979, अम्बेडकर आवास योजना-1989, जनता आवास योजना-1996 और रोहिणी आवासीय प्लाट योजना-1981 के प्रतीक्षारत पंजीकृतों को दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं के प्रतीक्षारत के लिए कोई वरीयता नहीं होगी।

बचे हुए फ्लैटों के लिए दूसरी वरीयता केन्द्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली में स्वायतशासी निकाय के कर्मचारियों को दी जाएगी। विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों को वरीयता नहीं होगी।

तीसरी वरीयता आम जनता को दी जाएगी।

सभी पात्र आवेदकों के मामलों में बेतरतीब संख्या निर्दिष्ट तकनीक (रैंडम नम्बर इंडिकेटिड टैकनीक) पर आधारित एक कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से, तैयार-निर्मित (रेडी बिल्ट) फ्लैटो के आवंटन हेतु विचार किया जाएगा। ड्रा, पर्यवेक्षकों के पैनल की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

8. आवंटन का परिणाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन हेतु अप्रैल/मई 2004 में ही ड्रा निकालने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी- ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित डी.डी.ए. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा, परिणाम डी.डी.ए. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका पता : "http://www.ddadelhi.com" है। यह परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार -पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

आवंटन एवं मांगपत्र स्पीड पोस्ट/कूरियर/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बावजूद सूचना प्राप्त नहीं होती तो परिणाम का पता लगाने की जिम्मेदारी पूर्णतया आवेदक की होगी।

प्राथमिकता के आधार पर 25 प्रतिशत फ्लैटों की अलग से प्रतीक्षा सूची घोषित की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची ड्रा की तिथि से केवल **6** महीने, निश्चय ही मात्र **6** महीने के लिए वैध होगी। असफल पंजीकृत व्यक्तियों केसाथ ही प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का पंजीकरण शुल्क भी लौटा दिया जाएगा। वैसे ड्रा के समय रिक्त स्थानों को भरते समय उन सभी योग्य प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को पंजीकरण शुल्क को जमा करने के लिए बुलाया जायेगा। उनको पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाएगा और केवल उनका नाम ही शामिल किया जाएगा जो कि ड्रा से पहले पंजीकरण शुल्क जमा कर देते है। पहले घोषित ड्रा सूची में प्राथमिकता आधार पर प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को लौटाए गए फ्लैंटो के आवंटन के लिए प्रत्येक महीने (6 महीने तक) एक ड्रा निकाला जाएगा। इस प्रतीक्षा सूची को इसलिए शामिल किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लौटाये गए फ्लैटो को खाली रखने के बजाय प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियो को सौपा जाये और यह प्रक्रिया केवल 6 महीने तक है। प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को 6 महीने के भीतर फ्लैटों को प्राप्त करना होगा और उसके बाद वह कोई दावा पेश नहीं कर सकते। यदि वे सफल होते है तो लागत उनको डिमांड-कम-आवंटन पत्र जारी होने की तिथि पर फ्लैट की जो कीमत होगी वह लागू होगी।

9. आवंटी की स्थिति

आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। वैसे टाइटल तभी स्थानान्तरित होगी जब कन्वीयेंस डीड दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटी के नाम निष्पादित कर दी जाएगी और आवंटी उसको सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत कराने के उपरान्त प्राप्त कर लेगा।

10. पंजीकरण राशि

इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नानुसार पंजीकरण राशि जमा करनी होगी।

क्र. सं	श्रेणी	राशि (रूपए में)
I.	उच्च आय वर्ग	30,000
II.	मध्यम आय वर्ग	30,000
III.	निम्न आय वर्ग	20,000
IV.	विस्तारणीय आवास योजना श्रेणी-ए	20,000
V.	जनता	20,000

7. MODE OF ALLOTMENT

The first preference will be given to the waitlisted registrants of New Pattern Housing Scheme 1979, Ambedkar Awas Yojna 1989, Janta Housing Scheme 1996 and Rohini Residential Plotted scheme 1981. There will be no preference within waitlisted registrants of different schemes.

Out of the remaining flats, second preference will be given to the employees of Central Government, Delhi Government, Autonomous Bodies in Delhi/New Delhi. There will be no preference within different categories of employees.

Third preference shall be given to the general public.

All the eligible applicants shall be considered for allotment of a ready built flat through a computerized draw based on random number indicated technique. The draw shall be held in the presence of panel of observers.

8. RESULT OF ALLOTMENT

Every effort shall be made by DDA to conduct draw for allotment of flats in the month of April/May, 2004 itself. The results of the draw shall be displayed on the Notice Board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address http://www.ddadelhi.com . The result will also be published in the leading National Newspapers.

The allotment-cum-demand letters will be despatched through Speed Post/Courier/Registered Post but it shall be the sole responsibility of the applicant to check up the result of the draw if he/she does not get information despite the afore-mentioned means.

A separate waiting list of 25% of the flats will also be declared in order of priority. **The waiting list will be valid only for 6 months, repeat only for 6 months, from the date of draw.** The registration money of the wait listed registrants shall be refunded along with unsuccessful registrants. However, before going for the draw, in case the same takes place for filling up the vacancies, all such eligible waitlisted shall be asked to deposit the registration money. 15 days time shall be given to them to do so and only those names shall be included who would be depositing their registration money prior to the draw. A draw will be held every month (up to 6 months) for allotment of the surrendered flats to the wait listed registrants as per the priority decided initially. The waiting list is created just to ensure that the surrendered flats(if any) are allotted to some registrants rather than kept vacant and the list will be valid only for 6 months, hence it doesn't create any right of the wait listed registrants if they fail to get a flat from the surrendered ones within 6 months. If successful, the cost would be the cost of the flat on the date the demand cum allotment letter is issued.

9. STATUS OF ALLOTTEE

The allotment shall be made on free hold basis. However, the title shall be transferred only when conveyance deed is executed by DDA in favour of the allottee and then the allottee gets it registered in the office of Sub-Registrar.

10.REGISTRATION MONEY

The applicant applying for a flat under this scheme shall have to deposit the registration money as under :

S.No.	Category	Amount (Rs.)
I.	HIG	30,000
II.	MIG	30,000
III.	LIG	20,000
IV.	EHS Type A	20,000
V.	Janta	20,000

नोट: यदि एक व्यक्ति एक श्रेणी से ज्यादा के लिए आवेदन करता है तो उसे ऊँची श्रेणी की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। उदाहरणतया यदि कोई जनता और उच्च आय वर्ग दोनो के लिए आवेदन करता है तो पंजीकरण राशि 30,000/ - रू. जमा करनी होगी।

11. पंजीकरण राशि के भुगतान का तरीका

पंजीकरण राशि का भुगतान, ''दि.वि.प्रा. आवास'' के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी बैंक के बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। आवेदन-पत्र सहित बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित बैंक शाखाओं में से किसी एक शाखा में जमा किया जाना है। चैक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. पंजीकरण राशि पर ब्याज

I. सफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीनों के अन्दर यदि ड्रा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

II. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीनों के अन्दर यदि राशि वापस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

III. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण राशि वापस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर योजना बंद होने के बाद, तीन महीनों के बाद की अवधि हेतु, जिस माह में वापसी की गई है, उससे पिछले माह की अंतिम तिथि तक 5%की दर स ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

IV. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, जिस पर उसे एकाउन्ट पेयी देयचैक जारी किया जाएगा।

V आवेदक ड्रा होने के एक महीने बाद यदि अपना पैसा वापस प्राप्त नहीं करते तो वे उस बैंक की शाखा में सम्पर्क करें जहाँ उन्होंने आवेदन जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए पते पर आवेदकों के उपलब्ध न होने या अपूर्ण पता होने के कारण हुई देरी पर कोई ब्याज का भुगतान नही होगा।

13. फ्लैट लौटाना/रद्द होना

सफल आवेदकों के पास कब्जे का पत्र जारी किये जानेसे पूर्व फ्लैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान के न किये की दशामें फ्लैट स्वत: रद्द हो जाएगा। **इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।** दोनों मामलों में, जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जानी है। हालांकि, निर्धारित रद्दकरण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :

विवरण	राशि (रूपयों में)		
	उ.आ.वर्ग	म.अ.वर्ग/ वि.आ.यो. श्रेणी-बी	नि.अ.वर्ग/ जनता/ वि.आ.यो. श्रेणी-ए
मांग-पत्र की तिथि के 30 दिनों तक वापिसी/रद्दकरण	1000	1000	1000
मांग-पत्र की तिथि के 30 दिनों के बाद तथा 60 दिनों तक वापिसी/रद्दकरण	5000	5000	5000
मांग-पत्र की तिथि के 60 दिनों के बाद तथा 90 दिनों तक वापिसी/ रद्दकरण	15000	15000	10000
मांग-पत्र की तिथि के 90 दिनों के बाद वापिसी/रद्दकरण	25000	20000	15000

Note: If a person applies for more than one category then the registration amount of the higher category shall have to be deposited, e.g., if one applies for both Janta and HIG then the registration amount of Rs. 30,000/ shall have to be deposited.

11. METHOD OF PAYMENT OF REGISTRATION MONEY

The payment of "Registration Money" will have to be made by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented along with the application form at one of the prescribed bank branches. Payment by cheque will not be accepted.

12.INTEREST ON REGISTRATION MONEY

I. No interest will be paid if the draw is held within three months from the last date of closure of the scheme in case of successful applicants.

II. In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within three months from the last date of the closure of the scheme.

III. In case registration money is not refunded within three months from the closure of the scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 5% will be paid on the registration money for the period beyond three months after the closure of the scheme up to the last date of the preceding month in which refund has been made.

IV. For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account on which Account Payee cheque will be issued.

V. Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.

13. SURRENDER/CANCELLATION

I. The successful applicants shall have the options to surrender the flats before the issue of the possession letter. Flat will be automatically cancelled in case payments are not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered :

Particulars	Amount in Rupees		
	HIG	MIG	LIG/ Janta/ EHS Type A
Surrender/Cancellation upto 30 days from the date of demand letter	1000	1000	1000
Surrender/Cancellation after 30 days from the date of demand letter upto 60 days.	5000	5000	5000
Surrender/Cancellation after 60 days from the date of demand letter upto 90 days.	15000	15000	10000
Surrender/Cancellation after 90 days from the date of demand letter	25,000	20,000	15,000

फ्लैट लौटाने/रद्द करवाने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हैं :

(क) आवंटित फ्लैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आवंटनएवं मांग-पत्र।

(ख) आवेदन-पत्र में दिये गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण।

(ग) आवेदन-पत्र में दिये गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा मेंपासबुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रभारी के प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी।

(घ) नोट : फ्लैट के स्वयं रद्द होने की स्थिति में जैसा की उक्त दिया गया है, राशि वापिसी के लिए उक्त दस्तावेज जमा करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। राशि की वापिसी दस्तावेजो के जमा होने पर होगी। <u>यदि दस्तावेज 180 दिनों के भीतर जमा नहीं किये जायेंगे तो पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।</u>

III. दि.वि.प्रा. वापिसी राशि जहां आवंटी ने आवेदन-पत्र जमा किये है बैंकों की नामंकित शाखाओं के माध्यम से वापस करेगा। योजना के बन्द होने से 2 महीनों के भीतर यदि आवेदक वापिसी राशि प्राप्त नहीं करता है तो वह बैंक की नामांकित शाखा जिसमें आवेदन जमा किया है सम्पर्क कर सकता है। नामांकित बैकों के नाम पैरा 5 (II) में दिये गये हैं। दि.वि.प्रा. योजना के बन्द होने के 1 महीने बाद वापिसी राशि /हानि/खंण्डन/वापिसी राशि चेक के भुगतान न होने के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं करेगा।

14. फ्लैटों की अनुमानित लागत

क) फ्लैटोंकी अनुमानित लागत निम्नानुसार है :-

क्र सं.	श्रेणी	सामान्य भाग/ आंगन आदि को जोड़कर भवन संवत क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मंजिलों की संख्या विस्तार	अनुमानित लागत आर्थिक सहायता के बिना (रू. लाख में)
1.	उ.आ.वर्ग	106-117	4	13 से 14
2.	म.आ.वर्ग	76 (अनुमानित)	4	8.3 अनुमानित
3.	नि.आ.वर्ग	44-49	4	4 से 4.5
4.	वि.आ.यो. श्रेणी-ए	34-36	1	4.3 से 4.5
5	जनता	25-27	4	2.2 से 2.3

नोट (i) 30 % आर्थिक सहायता फ्लैट की कीमत पर दी जाएगी। उपरोक्त कीमत आर्थिक सहायता को बिना कम किये है।

(ii) कीमत दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार परिवर्तनीय है

उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम तथा निर्माण व्यय शामिल है। निर्माण व्यय में विभागीय शुल्क एवं निर्माण अवधि के दौरान ब्याज शामिल है। भूमि प्रीमियम प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को संशोधित की जाती है जबकि निर्माण व्यय की समीक्षा प्रत्येक वर्ष प्रथम अक्टूबर एवं प्रथम अप्रैल-दो बार की जाती है। लागत में भिन्नता श्रेणी के भीतर फ्लैटों के संवत क्षेत्र में भिन्नता के कारण है। कुछ और फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है (दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकाधीन)। यदि क्षेत्र बदलता है, तो नवीन जोड़े गये फ्लैटों की लागत तद्नुसार बदलेगी ।

ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवंटी को फ्री होल्ड प्रभार देने की जिम्मेदारी है- वर्तमान में फ्री होल्ड प्रभार निम्न प्रकार हैं :

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (रू. में)
i.	उच्च आय वर्ग	34670
ii.	मध्यम आय वर्ग	19670
iii.	निम्न आय वर्ग	13870
iv.	विस्तारणीय आवास योजना श्रेणी-ए	13870
v.	जनता	शून्य

ये दरें अस्थायी है, यदि दरें आगे संशोधित होती है तो लागू दरों को आवंटी द्वारा देना होगा।

II. Following documents are to be submitted for refund in case of Surrender/Cancellation:

a. Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.

b. Proof of residence in case there is change of address from as given in the application form.

c. Photocopy of passbook or bank manager's in charge certificate in case there is change in bank particulars from as given in the application form.

d. Note : In case flat is cancelled automatically, as stated above, it is the responsibility of the applicant to submit above documents for refund. Refund will be made only after submission of documents. **<u>If the documents are not submitted within 180 days, the registration money shall stand forfeited.</u>**

III. DDA will refund the money through nodal branches of the banks in which application has been deposited. In case applicant does not get refund within two months from the closure of the scheme, he may contact nodal branch of the bank in which application has been submitted. The name of the nodal branches is indicated in para 5 (II). DDA will not entertain any application for refund, loss/mutilation, non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.

14. DISPOSAL COST OF THE FLATS

a) The tentative cost of the flats varies as under:-

S. No.	Category	Plinth area range including common portion/courtyard etc. in (Sq. Mtrs.)	No. of storeys	Tentative Cost without Subsidy (in Rs. lacs)
i.	HIG	106-117	Four	13 to 14
ii.	MIG	76 (approx)	Four	8.3(approx)
iii.	LIG	44-49	Four	4 to 4.5
iv.	EHS Type A	34-36	single	4.3 to 4.5
v.	Janta	25-27	Four	2.2 to 2.3

Note: (i) 30% subsidy will be given in cost of Flat. The above cost is without reducing subsidy.
ii) The cost is subject to change as per the policy of DDA.

The above cost includes land premium and cost of construction. Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on every 1st Oct. and 1st April. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats.

There may be some more flats added or deleted (at the discretion of DDA). If the area changes, the cost of newly added flats will change accordingly.

b) In addition to above, allottee is liable to pay Free hold charges– Presently free hold charges are as under :

S.No.	Category	Amount (Rs.)
i.	HIG	34670
ii.	MIG	19670
iii.	LIG	13870
iv.	EHS Type A	13870
v.	Janta	Nil

These rates are provisional, if the rates are revised upward, difference will be claimed from the allottees.

15. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आवंटन केवल नकद खरीद आधार पर होगा।

16. भुगतान की अवधि

आवंटी को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आवंटी को यह राशि 15% वार्षिक की दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज सहित अगले 90 दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। यदि भुगतान मांग-पत्र की तिथि से 180 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, तो फ्लैटस का आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस' नहीं दिया जाएगा। इस योजना में आटोमैटिक निरस्तीकरण के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोत्तरी नही होगी। एक बार भुगतान न करने पर फ्लैट रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रेस्टोरेशन, निश्चय ही कोई रेस्टोरेशन स्वीकृत नही किया जाएगा। आवंटी अगर मांगी गई रकम की अदायगी 180 दिनों में करने में असफल हो जाता है तो उसको चाहिए कि रिफंड के लिए वांछित कागजात (अपने आप) दि.वि.प्रा. में जमा करा दें। जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण व्ययों की कमी करके वापिस कर दी जाएगी। यदि आवंटी आटोमेटिक निरस्तीकण की तिथि से 180 दिनों के भीतर जरूरी कागजात को जमा करने में असफल होता है तो आवंटी द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

17. आरम्भिक मांग राशि का तरीका

भुगतान ''डी डी ए हाउसिंग'' के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी भी बैंक के बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। यह बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट यूटीआई बैंक लिमिटेड, दिल्ली/नई दिल्ली की शाखाओं में प्रस्तुत करना होगा। चैक द्वारा किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ''बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट'' के प्राप्त होने पर बैंक कम्पयूटरीकृत रसीद जारी करेगा, जिसमें फाइल संख्या, आवंटी की नाम, फ्लैट का विवरण, आवंटी का पता, फ्लैट की श्रेणी का उल्लेख होगा।

18. बंधक रखने/ऋण लेने की सुविधा

आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिये बिना मकान को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास-ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास फ्लैट बंधक रखा गया हैं, उसके संबंध में जानकारी संयुक्त/उप निदेशक (आवास), दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए।

i. भारत सरकार;
ii. राज्य सरकार;
iii. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;
iv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतशासी निकाय;
v. राष्ट्रीयकृत बैंक;
vi. भारतीय जीवन बीमा निगम;
vii. भारतीय साधारण बीमा निगम;
viii. आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.)
ix. सहकारी बैंक;
x. दिल्ली नगर निगम;
xi. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद;
xii. संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां भलें ही शेयरधारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो।
xiii. दिल्ली विश्वविद्यालय;
xiv. समस्त निजी अथवा सार्वजनिक संगठन, जिन्हें सामान्य बंधक अनुमति के उद्देश्य के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है और जो आवास वित्त कम्पनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
xv. भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रूपये अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियाँ हों।
xvi. समस्त वित्तीय संस्थाएँ/बैंक, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता कितनी ही हो।
xvii. समस्त सार्वजनिक कम्पनियाँ जिनका पूंजीगत आधार 5 करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहाँ अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो।

15. MODE OF PAYMENT

The allotment of flats shall be made on Cash Down basis only.

16. PERIOD FOR PAYMENT

Allottee is liable to make the payment within 90 days from the date of issue of demand letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 90 days along with interest @15% p.a. compounded as on 31st March. If the payment is not made within 180 days from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by the DDA for cancellation. No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation would be given in this scheme. **Also no restoration is allowed, repeat no restoration is allowed** once the flat is automatically cancelled due to non payment. Allottees should submit the required papers to DDA (on their own) for refund if they fail to deposit the demanded amount within 180 days. The amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 13. **If the allottee fails to submit required documents within 180 days from the date of automatic cancellation, the amount deposited by allottee shall be forfeited.**

17.METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT

The payment of amount will have to be made by a Banker's Cheque/ Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented at one of the bank branches of **UTI Bank Ltd. in Delhi/ New Delhi.** Payment by cheque will not be accepted. On receipt of the "Banker's Cheque/Demand Draft", bank will issue computerized receipt indicating file number, allottee's name, flat particulars, allottee's address, flat category etc.

18. MORTGAGE/AVAILING LOAN

The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which flat has been mortgaged must be sent to Jt./Dy. Director (Housing), DDA.

i. Government of India;
ii. State Governments;
iii. Union Territory Administration;
iv. Public Sector Undertakings/Autonomous bodies;
v. Nationalized banks;
vi. Life Insurance Corporation of India;
vii. General Insurance Corporation of India;
viii. Housing Development Finance Corporation;
ix. Cooperative banks;
x. MCD;
xi. NDMC;
xii. All Joint Sector companies, irrespective of the percentage of share holding;
xiii. University of Delhi;
xiv. All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company;
xv. All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of Rs. five crores or so.
xvi. All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding.
xvii. All public companies with a capital base of Rs. 5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances.

19. फ्लैटों का कब्जा

i आवंटी कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा/होगी, जबकि उसने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर दी हों, सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो और मांग एवं आवंटन-पत्र अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 में यथा-अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत/निष्पादित कर दिये हों।

ii यदि आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि के बाद कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार प्रतिमाह निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (रू. में)
i.	उच्च आय वर्ग	1250/-
ii.	मध्यम आय वर्ग	1000/-
iii.	निम्न आय वर्ग	750/-
iv.	विस्तारणीय आवास योजना श्रेणी-ए	750/-
v.	जनता	500/-

iii यदि वास्तविक कब्जा अधिक से अधिक एक वर्ष के अन्दर नहीं लिया जाता है, तो आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक उक्तलिखित प्रभार के अतिरिक्त निर्धारित रेस्टोरेशन/रद्दकरण प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिये दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी।

iv सम्पत्ति "जहाँ है, जैसी है आधार" पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियम के पैरा-19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, चाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा फ्लैट की लागत, उसके डिज़ाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।

20. हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन

मांग पत्र के साथ डीडीए द्वारा हस्तांतरण डीड (फ्री–होल्ड डीड) कागजात जारी किए जाएंगे। कब्जा पत्र के जारी करने से पहले क्लैक्टर ऑफ स्टेम्प, दिल्ली सरकार से स्टम्पित कराने के पश्चात् डीडीए के पास जमा करा दें। स्टैम्प डयूटी और अन्य खर्च आवंटी को अदा करने होंगे।

21. दुरूपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि

फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए न हीं किया जा सकता। आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति लिए बिना आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन/परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

19. POSSESSION OF FLATS

i. The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter or the Delhi Development Authority(Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.

ii. If the allottee does not take possession of the flat within 3 months from the date of issue of possession letter, he/she shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges per month are as under:

S.No.	Category	Amount (Rs.)
i.	HIG	1250/-
ii.	MIG	1000/-
iii.	LIG	750/-
iv.	EHS Type A	750/-
v.	Janta	500/-

iii. If the physical possession is still not taken over within a maximum period of one year, then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/ cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties/charges.

iv. The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints, whatsoever regarding Property Circumstances except as defined in para 19 of the Regulation referred to above or about cost of flats, its design, the quality of material used, workmanship or any other defect.

20.EXECUTION OF CONVEYANCE DEED

Conveyance deed (Free Hold Deed) paper will be issued by the DDA alongwith the demand cum allotment letter. These are required to be stamped from the Collector of stamps, Govt. of NCT of Delhi and submitted to DDA before the possession letter is issued. Stamp duty and other expenses in this regard shall be borne by the allottees.

21. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC.

The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to other use. The allottee shall not be entitled to sub-divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations without prior written permission of DDA.

22. फ्लैट का निपटान/हस्तांतरण/बंधक

(क) आवंटी को प्राधिकरण से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना फ्लैट को हस्तांतरित करने, बंधक रखने अथवा फ्लैट के किसी या संपूर्ण भाग का कब्जा छोड़ने का अधिकार नहीं है और प्राधिकरण को अपने पूर्ण विवेक से अनुमति को अस्वीकृत करने का हक होगा। यदि प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना ही हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं होगा और प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और फ्लैट का पुनः कब्जा लेने का हकदार होगा। प्रावधान के अनुसार, यदि अनुमति दे दी जाती है तो प्राधिकरण जैसा उचित समझेगा, वैसी निबंधन एवं शर्तें लगा सकता है और बिक्री के समय 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि हुई भूमि के मूल्य में अनर्जित वृद्धि के भाग (अर्थात कब्जा देने या छोड़ने के दिन बिक्री, समनुदेशन अथवा उसके किसी भाग के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और भूमि के बाजार मूल्य का अंतर) की राशि को वसूल करने का हकदार होगा। भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।प्राधिकरण को भूमि की चुकाई गई कीमत (मूल्य ह्रास को कम करके) और निर्धारित भूमि की 50% अनर्जित वृद्धि का भुगतान करने के बाद आवंटी से सम्पत्ति खरीदने का प्रथम अधिकार है।

22. DISPOSAL / TRANSFER / MORTGAGE OF THE FLAT

(a) Allottee shall not be entitled to transfer, mortgage or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without the prior consent of the Authority in writing and the Authority shall be entitled to refuse the permission in its absolute discretion. Provided that in the event of a transfer being made without obtaining previous consent of the Authority in writing, such transfer shall not be recognized by the Authority and it shall be open to the Authority to cancel the allotment and resume the flat. Provided further that in the event of the consent being given, the Authority may impose such terms and conditions as it may think fit and the Authority shall be entitled to claim and recover a portion of the unearned increase in the value of the land (i.e. difference between the premium paid and the market value of the land prevailing on the day of transfer) at the time of sale transfer assignment or parting with the title, the amount to be recovered being 50% of the unearned increase. The decisions of the Authority in respect of the market value of the land shall be final and binding. Provided further that the Authority have the pre-emptive right to purchase the property from the allottee after paying the price paid for the land (less depreciation) and 50% of the unearned increase in the cost of the land.

23.सामूहिक भाग और सामूहिक सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व

प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य बनना अपेक्षित है। ये संस्थायें इन आवासीय पॉकेटों में सामूहिक भागों और सामूहिक सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य से बनायी जाएंगी।

23. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES ETC.

Every successful applicant is required to become a member of Association of Apartment Owners to be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her.

24. मिथ्या-कथन अथवा तथ्यों को छिपाना

यदि यह पाया गया कि आवेदक ने कोई गलत सूचना दी है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है तो आवेदन-पत्र/आवंटन कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्दकरण के मामले में आवंटी को 5,000/-रू. का जुर्माना भी अदा करना होगा।

24. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS:

If it is found that the applicant has given false information or suppressed any material fact, the application/ allotment will be rejected summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation, allottee will be liable to pay a penalty of Rs.5000/-.

25. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी

i) दिल्ली विकास प्राधिकरण यह राशि संबंधित बैंक के माध्यम से वापस करेगा जहाँ आवंटी ने आवेदन पत्र जमा किया है। असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए सम्बधित बैंक उत्तरदायी होगा। इस कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के मामले में उसकी जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यदि आवेदक योजना के बन्द होने के 2 महीनों के भीतर वापिसी राशि प्राप्त नहीं करता है तो वह बैंक की नामांकित शाखा जिसमें उसने आवेदन जमा किया है सम्पर्क कर सकता है। नामांकित शाखाओं के नाम पैरा 5 II में अंकित है। दि.वि.प्रा. योजना के बन्द होने के एक साल के बाद राशि वापिसी, हानि/खण्डन, राशि वापिसी चेक के न भुनाने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

ii) यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो, वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नंबर दिया जाना चाहिए।

25.REFUND OF REGISTRATION MONEY TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS

I. DDA will refund the amount through the nodal branches of the concerned Bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned Bank shall be responsible for the despatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. In case of any loss on account of this, the bank shall bear the responsibility for the same. In case applicant does not get refund within two months from the closure of the scheme, he may contact nodal branch of the bank in which application has been submitted. The name of the nodal branches is indicated in para 5 II. DDA will not entertain any application for refund, loss/mutilation, non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.

II. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and ,therefore, only his/her bank account number should be given.

26. अन्य सामान्य शर्तें

क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त/खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।

ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।

ग) इस योजना के अंतर्गत आवंटन इस ब्रोचर, मांग एवं आबंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।

26. OTHER GENERAL CONDITIONS

A. DDA reserves the right to alter any terms and conditions/ clause of the scheme at its discretion as and when considered necessary.

B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in the scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.

C. The allotment under the scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.

घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, टैक्स प्रभार, म्यूनिसिपल कर का निर्धारण अथवा अन्य और अन्य प्रकार की लेवी, जो भी हो, आवंटी अथवा पंजीकृत एजेन्सी/अपार्टमेंट स्वामी की एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करने होंगे और आवंटी अथवा पंजीकृत एजेंसी की अपार्टमेंट स्वामी की एसासिएशन द्वारा देय होगा।

ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।

च) दि.वि.प्रा. के साथ आवंटन संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन पत्र सं. और फाइल सं. आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक (वि.आ.यो.), दि.वि.प्रा., डी. ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।

छ) यदि कोई शिकायत हो तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास) डी- ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-23 से सम्पर्क करें।

ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अत: जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं है तो वे फ्लैट आवंटन के हकदार नहीं होंगे।

झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या/जी.आई.आर. सं. और आई.टी. सर्किल/वार्ड/जिला लिखना चाहिए अथवा फार्म 60 में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए/यदि स्थायी खाता सं./जी.आई.आर.सं. का आवंटन नहीं हुआ हो अथवा इसके लिए आवेदन किया है तो तदनुसार उसका उल्लेख करें। आयकर नियमों के नियम 114 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा-139(ए) के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या अपेक्षित है। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे रद्द किया जा सकता है।

ञ) आवेदकों को अपने बैंक खाते का विवरण अर्थात बैंक खाता सं., बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करना चाहिए।

संलग्नक - अ

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड - शाखाओं की सूची

वसन्त विहार
डी-1, शॉपिंग सेन्टर-2, नई दिल्ली-110057 फोन : 011-26140894/0996

ग्रेटर कैलाश-II
एम-44, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 फोन : 011-26233388/89/90

एस.डी.ए.
सी-5, एस.डी.ए. कॉमर्शियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110048 फोन : 011-26526750-2

कनॉट **प्लेस**
जी-3/4, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबागांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23356974-78

साकेत
13, अवन्तिका टॉवर, स्थानीय विपणन केन्द्र, ब्लॉक -जे, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 011-26522892/4/5

पंजाबी बाग
17, सैन्ट्रल मार्किट, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
फोन : 011-25459590/1477/1540

न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी
भूतल, 40-41, सामुदायिक केन्द्र न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065
फोन : 011-26317510/11

विकास मार्ग
जीएफ 1, 2, 3 लक्ष्मी दीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली-110092
फोन : 011-22046882-85

D. As per provisions contained in Regulation No. 17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the Registered Agency/Association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/Registered Agency within the period specified in this behalf.

E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.

F. In all the correspondence with DDA regarding allotment etc., the applicants are advised to quote their application form no. and the file no. etc. and such correspondence be addressed to Jt.Director/Dy. Director(EHS) , DDA, D-Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023.

G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-II, Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Advisor (Housing), D-Block, Ist floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.

H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their name at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.

I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District or submit declaration in Form-60. In case the PAN/GIR number is not allotted or has been applied for, mention accordingly. PAN is required under Section-139(A) of the Income Tax Act read with Rule 114 of the Income Tax Rules. The application form without this information shall be considered incomplete and are liable to be rejected.

J. The applicants should mention his/her bank account particulars i.e. bank account number, name of the bank and branch.

A N N E X U R E - A

HDFC Bank Ltd. - List of Branches

Vasant Vihar
D-1, Shopping Centre-2, New Delhi 110057 Ph: 011-26140894/0996

Greater Kailash-II,
M-44, Greater Kailash-II New Delhi 110048 Ph: 011-26233388/89/90

SDA
C-5, SDA Commercial Complex, New Delhi 110048
Ph: 011-26526750-2

Connaught Place
G-3/4, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi 110001
Ph: 011-23356974-78

Saket
13, Avantika Tower, Local Shopping Complex, Block-J,
Saket,New Delhi 110017
Ph: 011-2652 2892/4/5

Punjabi Bagh
17, Central Market, West Punjabi Bagh, New Delhi 110026
Ph: 011-2545 9590/1477/1540

New Friends Colony
Ground Floor, 40-41, Community Centre, New Friends Colony,
New Delhi 110065 Ph: 011-2631 7510/11

Vikas Marg
GF, 1,2,3, Laxmi Deep Building, Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi110092 Ph: 011-2204 6882-85

जनकपुरी
बी-28, सामुदायिक केन्द्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन : 011-25541926-28

डिफेन्स कालोनी
डी-23, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-24653730-31

ईस्ट पटेल नगर
2/10, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110018 फोन : 011-25863762-65

पीतमपुरा
165, कपिल विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
फोन : 011-27194914/4896/27185895/5889

नोएडा
जी-28/29, सैक्टर -18, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
फोन : 95120-24514201/5198

गाजियाबाद
सी-29, आर.डी.सी., राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
फोन : 95120-24780697/1698

फरीदाबाद
5 आर/2, बादशाह खान चौक, एन.आई.टी., फरीदाबाद, हरियाणा-121001
फोन : (95129) 25422682/87

डी.एल.एफ. सिटी
ए-12, शॉपिंग माल, डी.एल.एफ., कुतुब एंकलेव, गुडगांव, हरियाणा-122002
फोन : 0124-26358802-3-4

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शाखाओं की सूची

1. सीरी फोर्ट शाखा
सीरी फोर्ट इंस्टीटूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 26861296/97/98/99

2. के.जी. मार्ग शाखा
सूर्या किरण बिल्डिंग, भू-तल., 19-के.जी.मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 23350568

3. पीतमपुरा शाखा
प्लाट नं. 8, सी.डी. ब्लॉक, स्थानीय विपणन केन्द्र, पीतमपुरा,
नई दिल्ली-110034 दूरभाष : 27223623/5/9

4. राजौरी गार्डन शाखा
जे-13/37, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 दूरभाष : 25911478/82/83

5. आई.एफ.सी.आई.ई.सी. शाखा
आई.एफ.सी.आई. टॉवर्स, 61, नेहरु प्लेस, पी.बी. नं. 4499,
नई दिल्ली - 110019 दूरभाष : 26231169/3415

6. महिपालपुर शाखा,
मकान नं. ई-14, खसरा नं. 550 ,वसन्त कुंज रोड, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110037 दूरभाष : 26787116-20

8. गाज़ियाबाद शाखा
सी-78, राजनगर जिला केन्द्र, राजनगर, गाज़ियाबाद - 201001
दूरभाष : 95120-24753000/5404-10

9. गुड़गांव शाखा (सिकंदरपुर)
पाल टॉवर्स, महरौली गुड़गांव रोड, सिकंदरपुर, गुड़गांव - 122002
दूरभाष : 95124-26357446/9

7. फरीदाबाद शाखा
भू-तल, एस.सी.ओ.-99, सागर सिनेमाघर के पीछे, फरीदाबाद - 121002
दूरभाष : (95129) 25225027/5128/9

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यू.टी.आई. बैंक की शाखाएं

1. नई दिल्ली मुख्य
148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली
(011)-23311051, 23311047, 23311012, 23311024

2. ग्रीन पार्क
एस-28, ग्रीन पार्क, मेन मार्केट, नई दिल्ली-18 (011)-26522335, 26523407

Janakpuri
B-28, Community Centre, Janakpuri, New Delhi 110058
Ph: 011-2554 1926-28

Defence Colony
D-23, Defence Colony, New Delhi 110024
Ph: 011-2465 3730-31

East Patel Nagar
2/10, East Patel Nagar, New Delhi 110018
Ph: 011-2586 3762-65

Pitampura
165, Kapil Vihar, Pitampura, New Delhi 110034
Ph: 011-2719 4914/4896/2718 5895/5889

Noida
G-28/29, Sector-18, Noida, Uttar Pradesh 201301
Ph: 95120-2451 4201/5198

Ghaziabad
C-29, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001
Ph: 95120-2478 0697/1698

Faridabad
5R/2, Badshah Khan Chowk, NIT, Faridabad, Haryana 121001
Ph: (95129) 2542 2682/87

DLF City
A-12, The Shopping Mall, DLF Qutab Enclave, Gurgaon,
Haryana 122002
Ph: 0124-2635 8802/3/4

IDBI Bank Ltd.- List of branches in the NCR region

1. **Siri Fort Branch**
Siri Fort Institutional Area, Khel Gaon Marg, New Delhi 110 016
Ph.No. 26861296/97/98/99

2. K.G. Marg Branch
Surya Kiran Building, Gr. Floor, 19, K.G. Marg,
New Delhi 110 001
Ph. No.23350568

3. Pitampura Branch
Plot No.8, C.D. Block, Local Shopping Centre, Pitampura,
New Delhi 110 034; Ph. No.27223623/5/9

4. Rajouri Garden Branch
J-13/37, Rajouri Garden, New Delhi 110 027;
Ph. No.25911478/82/83

5. IFCI EC Branch
IFCI Towers, 61, Nehru Place, P.B. No.4499, New Delhi 110 019
Ph. No.26231169/3415

6. Mahipalpur Branch
House No.E-14, Khasra No.550, Vasant Kunj Road, Mahipalpur,
New Delhi 110 037 Ph.No. 26787116-20

8. Ghaziabad Branch
C-78, Raj Nagar Distt. Centre, Raj Nagar, Ghaziabad 201 001
Ph. No. 95120-24753000/5408-10

9. Gurgaon Branch (SIKANDERPUR)
Pal Towers, Mehrauli Gurgaon Road, Sikanderpur,
Gurgaon 122 002 Ph. No. 95124- 26357446/9

7. Faridabad Branch
Ground Floor, SCO-99, Behind Sagar Cinema House,
Faridabad 121 002; Ph.No. (95129) 25225027/5128/9

UTI Bank Ltd. - Branches In NCR Region

1. New Delhi Main
148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi
(011)-23311051, 23311047, 23311012, 23311024

2. Green Park
S-28, Green Park Main Market,
New Delhi - 16 (011)-26522335, 26523407

3. पीतम पुरा
प्लाट नं. 6, एल.एस.सी., डीपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
(011)-27317837/27312069, 27312615, 27314523 (डी), फैक्स : 27312624

4. ग्रेटर कैलाश
ई-64, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048
(011)-26431800/1300, 20452005 (डी), 26230450, फैक्स : 26230625

5. शक्ति नगर
प्लाट नं. 1, अमर भवन, 11433, जीटी करनाल रोड़, शक्ति नगर, दिल्ली-110007
(011)-27833440, 27433389/27433394/27433554

6. स्वास्थ्य विहार
ए-13, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
(011)-22016630, 22016631, फैक्स : 22019730

7. राजौरी गार्डन
ए-11, विशाल एन्कलेव, राजौरी गार्डन के सामने, नई दिल्ली-110027
(011)-25163114/ 3831/4482/4426/25936107, फैक्स : 25936108

8. विकासपुरी
जे-3, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018
(011)-25522393/404, 25590210/216-217, फैक्स : 25500216

9. पश्चिम विहार
बी-2/11, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
(011)-25284801, 25284803, 25288500 (डी) फैक्स : 25285600

10. वसन्त कुंज
प्लाट नं. 2, ग्राउंड फ्लौर, सेन्टर फॉर सोसल रिसर्च, नेल्सन मंडेला रोड़, नई दिल्ली
(011)-26130967, 26133059, 26133474, 26133742, 26899088
फैक्स : 26131074

11. खान मार्केट
शॉप नं. 2ए & 2बी , खान मार्किट, नई दिल्ली 110 009
24699370 (डी), 24699373, 24699375, 24699376, 24699384,
फैक्स : 246600371

12. लाजपत नगर
बी-6, लाजपत नगर-11, नई दिल्ली-110 024

13- पालम
डब्ल्यूजैड-24-ए, पालम गांव, नई दिल्ली-110 045

14. चितरंजन पार्क
रायसीना बंगाली स्कुल, निकट शिव मंदिर, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली-110 019

15. नोएडा
बी-2 एवं बी-3, सेक्टर-16, नोएडा-201301
(95120)-914-2510789, 2512744, 2512745, 2510691, 2510751 (डी)
2510737 (फैक्स)

16. डीएलएफ, गुड़गांव ब्रांच
एसजी-21 एवं 22, गलैरिया शॉपिंग कॉमप्लैक्स, डीएलएफ फैस-IV, गुड़गाव

17. गाजियाबाद
प्लाट नं. 3, एन/30, अंबेडकर रोड़, नेहरु नगर, गाजियाबाद
(95120)-24756536, 24756546

18. गुड़गांव
एस.सी.ओ.-10, सेक्टर-14, हुडा आफिस के निकट, गुड़गांव-122001
(0124)-28339019, 28339020, फैक्स : (टी) 26339019

19. बल्लभगढ़
फरीदाबाद (हरियाणा), प्लाट नं. 40, एस.सी.ओ., सेक्टर-7, बल्लभगढ़, हरियाणा
(95129)-2211918, 2211920, (फैक्स) 2211916

ग्रेटर कैलाश शाखा नोडल शाखा है जो आवदेन पत्रों की डाक द्वारा बिक्री का कार्य भी करेगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
विकास सदन शाखा, नई दिल्ली-110023

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विकास सदन, नई दिल्ली-110023

3. Pitampura
Plot No.6, LSC, DP Block, Pitampura, Delhi 110 034
(011)-27317887/27312069, 27312615, 27314523 (D),
Fax: 27312624

4. Greater Kailash
E-64, Greater Kailash-I, New Delhi 110 048
(011)-26431800/1300, 26452095 (D), 26230450, Fax: 26230625

5. Shakti Nagar
Plot No.1, Amar Bhawan, 11433, G.T. Karnal Road, Shakti Nagar, Delhi 110 007 (011)-27833440, 27433389/27433394/27433554

6. Swasthya Vihar
A-13, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi 110 092
(011)-22016630, 22016631, Fax: 22019730

7. Rajouri Garden
A-11, Vishal Enclave, Opp. Rajouri Garden, New Delhi 110 027
(011)-25163114 / 3831 / 4482 / 4426 / 25936107, Fax: 25936108

8. Vikaspuri
J-3, Vikaspuri, New Delhi 110 018
(011)-25522393/404, 25590210/216-217, Fax: 25590216

9. Paschim Vihar
B-2/11, Paschim Vihar, New Delhi 110 063
(011)-25284801, 25284803, 25288500 (D), Fax: 25285600

10. Vasant Kunj
Plot No. 2, Ground Floor, Centre for Social Research, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi
(011)-26130967, 26133059, 26133474, 26133742, 26899088,
Fax: 26131074

11. Khan Market
Shop No. 2A & 2B, Khan Market, New Delhi 110 009
(011)-24699370 (D), 24699373, 24699375, 24699376, 24699384,
Fax: 24699371

12.Lajpat Nagar
B-6, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

13. Palam
WZ-24A, Palam Village, New Delhi - 110045

14. Chitranjan Park
Raisina Bengali School, CR Park, Near Shiv Mandir,
New Delhi-110 019

15. Noida
B-2 & B-3, Sector-16, Noida - 201 301
(95120)-2914-510789, 2512744, 2512745, 2510691,
2510751(D),510737(Fax)

16. DLF - Gurgaon Branch
SG-21 & 22, Galleria Shopping Complex, DLF Phase IV, Gurgaon

17. Ghaziabad
Plot No.III N/30, Ambedkar Road, Nehru Nagar, Ghaziabad
(95120)-24756536, 24756546

18. Gurgaon
SCO-13, Sector-14, Near HUDA Office, Gurgaon 122 001
(0124)-26339019, 26339020, Fax: (T) 26339019

19. Ballabhgarh
Faridabad, Haryana, Plot No.40, SCO, Sector-7, Ballabhgarh, Haryana (95129)-2211918, 2211920, Fax: 2211916

GREATER KAILASH WILL BE NODAL BRANCH. THEY WILL ALSO UNDERTAKE SALE OF APPLICATION FORMS BY POST.

The State Bank of India,
Vikas Sadan branch, New Delhi-110023

Central Bank of India
Vikas Sadan, New Delhi-110023